



फा.क्र. 7-5006/5/2024-Estt-N/ 66

दिनांक: 16/04/2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय - एम्स रायपुर में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों द्वारा अवकाश विस्तार किये जाने के संबंध में।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि संस्थान में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों द्वारा अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश में मुख्यालय से बाहर जाते हैं तथा अवकाश अवधि समाप्त होने पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के स्थान पर एक अथवा दो दिवस पूर्व अवकाश में विस्तार किया जाता है।

चुकि एम्स, रायपुर एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है तथा मरीज सेवा प्रबंधन एवं आपातकालीन सेवा हेतु हर समय पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। नर्सिंग कार्मिकों के अवकाश में विस्तार किये जाने से में वार्ड/ओपीडी में मरीज देखभाल एवं आपातकालीन सेवा संबंधी प्रबंधन में कठिनाई होती है।

उक्त बाबत संस्थान में कार्यरत समस्त नर्सिंग कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत अवकाश के समाप्ति पश्चात् पुनः कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही सूचित किया जाता है कि आपातकालीन परिस्थिति को छोड़कर अवकाश विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी एवं उक्त अवधि को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के अनुमोदन से जारी।

Amama

प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर
(छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि-

01. कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर,
02. समस्त विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर,
03. समस्त उप नर्सिंग अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर,
04. नर्सिंग पदस्थापन समिति, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर,
05. समस्त सहायक नर्सिंग अधीक्षक/वार्ड प्रभारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर,
06. समस्त नर्सिंग कार्मिक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर,
07. कार्यालयीन प्रति।